

29/10/18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। मूल वाद संख्या 157/2017 दिनांक 29.10.2018 को जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिकरी जारी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस आवेदन का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः यह आवेदन इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखित दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
( SDO ) बाड़मेर ।